उपखण्ड नावां जिला डीडवाना-कुचामन
विषयः– राजस्व रेकर्ड दुरस्ती बाबत् अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 ।
द्वाराः– पटवारी पटवार हल्का मोवा
महोदय,
उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है –

2024/662 312/24

सुशासन सप्ताह प्रशासन गांवों की ओर अभियान–2024

सेवामें,

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
उपखण्ड नावां जिला डीडवाना-कुचामन
विषयः– राजस्व रेकर्ड दुरस्ती बाबत् अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 ।
द्वाराः– पटवारी पटवार हल्का मोवा
महोदय,
उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व रेकार्ड में अशुद्ध हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है –

भूमि का विवरण	जमाबंदी में प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि को अन्डरलाईन करे)	की जाने वाली शुद्ध प्रविष्टि का विवरण
1	2	3
पटवार हल्का मोवा राजस्व ग्राम मोवा खाता संख्या 15,31 खसरा संख्या 1023, 1046, 1023, 1154 (1,2,3) रकबा हेक्टेयर मे 20.34 है	गाडु पुत्री लूराराम पत्नी रामसहाय जाति जाट	गाडु देवी पत्नी रामसहाय

संलग्न दस्तावेज (सलंग्न दस्तावेज पर टिक का निशान लगाए) –
1. अशुद्धि होने से तुरन्त पहले की जमाबंदी/नक्शा
2. अशुद्धि के बाद की वर्तमान जमाबंदी/नक्शा
3. प्रभावित नामान्तरण की सत्यप्रति
4. हिस्से संबंधी अशुद्धि होने पर मजमे आम में हल्का पटवारी द्वारा तैयार सजरा / वंशावली
5. प्रार्थी द्वारा वंशावली के संबंध में शपथ पत्र।

कुल संलग्नक संख्याः– .....

गाडु
हस्ताक्षर आवेदक

हल्का पटवारी व भू.अ.नि. की टिप्पणी मय स्पष्ट अनुशंशा (सपोर्टेड दस्तावेजों की जांच उपरांत):–
महेन्द्रपत्नी रामलाल ने गाडु पुत्री लूराराम पत्नी रामसहाय जाति जाट है व कि पत्रावली में गाडु देवी पत्नी रामसहाय है अतः गाडु देवी पत्नी रामसहाय दर्ज है
पत्रावली अग्रिम कार्य के हेतु प्रेषित

भू.अ.निरीक्षक
हस्ताक्षर पटवारी
24.12.2024
हस्ताक्षर तहसीलदार

तहसीलदार की टिप्पणी :– पेश है

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नावां जिला डीडवाना कुचामन
क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2024/312
दिनांकः– 24/12/24

आदेश

प्रार्थी गाडु देवी निवासी मोवा के आवेदन तथा हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक एवं तहसीलदार की रिपोर्ट संलग्न दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रेकर्ड मे हुई अशुद्धि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपरोक्त आवेदन पत्र के सारणी के बिन्दु सं. 3 में अंकित प्रविष्टि अनुसार शुद्धि की कार्यवाही कर तहसीलदार नावां राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें।

24/12/24
उपखण्ड अधिकारी
नावां

क्रमांक/राजस्व/धारा 136/2024/312
दिनांकः– 24/12/24
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–
1. तहसीलदार नावां को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
2. हल्का पटवारी मोवा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।
3. प्रार्थी / आवेदक गाडु देवी को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नावां